

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 12 / 03 / 2025.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :-

****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 84.10408 लाख (रुपये चौरासी लाख दस हजार चार सौ आठ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को बिपार्ड, पटना में प्रवेश कालीन/सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 84.10408 लाख (रुपये चौरासी लाख दस हजार चार सौ आठ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को बिपार्ड, पटना में प्रवेश कालीन/सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

- 2) बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत गव्य प्रक्षेत्र संबंधी विभिन्न कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाना है। साथ ही बिहार गव्य सेवा संवर्ग नियमावली के प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान/नियम का अनुपालन होगा। इसमें नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को प्रशिक्षण प्रदान हेतु कुल रुपये 84.10408 लाख (रुपये चौरासी लाख दस हजार चार सौ आठ) मात्र का व्यय अनुमानित है।
- 3) इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत गव्य प्रक्षेत्र संबंधी विभिन्न कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाना एवं इनके कौशल विकास में उन्नति एवं आत्मविश्वास की भावना से प्रेरित होकर योजना

को क्षेत्रीय स्तर पर मूर्त एवं सफल बनाने में कारगर सिद्ध करने के साथ ही बिहार गव्य सेवा संवर्ग नियमावली अन्तर्गत बिपार्ड, पटना में प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान/नियम का अनुपालन किया जाना है। प्रवेश कालीन/सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित पदाधिकारियों को सरकारी नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं, इत्यादि को शीघ्रताशीघ्र समझने में कारगर सिद्ध करना है तथा उन्हें प्रशासन के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए बहुक्षेत्रीय ज्ञान तथा कौशल वृद्धि में कारगर सिद्ध करना है।

- 4) बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को बिपार्ड, पटना में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
- 5) इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन बिपार्ड, पटना द्वारा किया जायेगा।
- 6) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- 7) इस योजना अंतर्गत बिपार्ड, पटना को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर बिपार्ड, पटना के बंधन बैंक, स्वराज्यपुरी रोड शाखा, गया के बचत खाता सं०-50220029265768, आई०एफ०एस०सी० कोड-BDBL0001543 में अंतरित किया जायेगा।
- 8) बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर के प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, पटना से प्राप्त विपत्र अथवा पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर निकासी/अग्रिम निकासी की जायेगी।
- 9) योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-003 -प्रशिक्षण, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0101 -प्रशिक्षण-विपत्र कोड 02-2404000030101 , विषय शीर्ष-0101.20.03 -प्रशिक्षण व्यय, विपत्र कोड 02-2404000030101 के तहत योजना उद्व्यय एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंधित राशि में से रुपये 84.10408 लाख (रुपये चौरासी लाख दस हजार चार सौ आठ) मात्र के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा।
- 10) दिनांक-20.03.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस० (6)19/2025 के पृष्ठ 17-16/प०.
- 11) चूंकि यह योजना एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)19/2025 के पृष्ठ-03/टि० दिनांक-21.03.2025.

- 12) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)19/2025 के पृष्ठ-03/टि० तथा डायरी सं०-119, दिनांक-21.03.2025.
- 13) वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

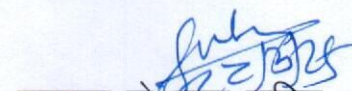
विश्वासभाजन


(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

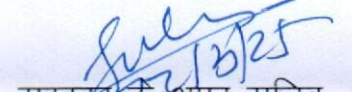
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-22/03/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

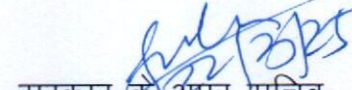
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-22/03/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

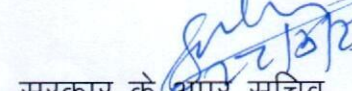
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-22/03/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-22/03/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-22/03/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-...../...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/
विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार
कार्यालय, बिहार, पटना/वरीय सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण
विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)19/2025- 1385/पटना-15, दिनांक-...../...../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर
कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 84.10408 लाख (रुपये चौरासी लाख दस हजार चार सौ आठ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को बिपार्ड, पटना में प्रवेशकालीन/सेवा कालीन प्रशिक्षण की योजना।

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विपत्र कोड/विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	भौतिक लक्ष्य	कुल लागत	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	विपत्र कोड 2-2404000030101, विषय शीर्ष 20-03 -प्रशिक्षण व्यय	बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर को बिपार्ड, पटना में प्रवेश कालीन/सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।	बिहार गव्य सेवा के नव नियुक्त 38 डेरी फिल्ड ऑफिसर/डेरी टेक्निकल ऑफिसर	84.10408	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
योग :-				84.10408		

कुल रुपये (चौरासी लाख दस हजार चार सौ आठ) मात्र।

1385
22/03/25

सरकार के अपर सचिव
